"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 नवम्बर 2005—कार्तिक 16, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/29/2005/वा. कर (पं.)/पांच (49).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टाम्प नियम, 1942 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 35 में निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है, अर्थात् :—

परन्तु— "यह भी कि नियम 25 (3) के अधीन राजस्व स्टाम्पों को विक्रय करने के लिये अधिकृत पदेन विक्रेता को राजस्व स्टाम्पों (रसीदी टिकटों) की बिक्री पर दिनांक 1-10-2003 से 3% तथा दिनांक 1-10-2004 से 6% की दर से कमीशन देय होगा"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ-10/29/2005/वा. कर (पं.)/पांच (49).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/29/2005/वा.कर (पं.)/पांच (49), दिनांक 7-11-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.**

Raipur, the 7th November 2005

NOTIFICATION

No. F-10/29/2005/CT(R)/V (49).— In exercise of the powers conferred by section 74 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Stamp Rules, 1942 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,

after rule 35 the following proviso shall be added, namely :—

"provided that the ex-officio stamp vender authorized under rule 25 (3) for the sale of the revenue tickets shall be given a commission at the rate of 3% from 1-10-2003 and 6% from the date of 1-10-2004"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.